



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1825]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2016/आषाढ़ 29, 1938

No. 1825]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2016/ ASADHA 29, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2016

का.आ. 2478(अ) .— केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 32 और धारा 32कघ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के पहले परंतुक और धारा 32कघ की उपधारा (1) के अधीन नीचे उल्लिखित राज्यों के निम्नलिखित जिलों को पिछड़े क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

तेलंगाना राज्य

1. आदिलाबाद
2. निजामाबाद
3. करीमनगर
4. वारंगल
5. मेडक
6. महबूबनगर
7. रंगारेड्डी
8. नालगोंडा
9. खम्मम

पश्चिमी बंगाल

1. दक्षिण 24 परगना
2. बंकुरा
3. वीरभूम
4. दक्षिण दिनाजपुर
5. उत्तर दिनाजपुर
6. जलपाईगुड़ी
7. मालदा
8. पूर्व मेदीनिपुर
9. पश्चिम मेदीनिपुर
10. मुर्शिदाबाद
11. पुरुलिया

बिहार राज्य

1. अरवल
2. बांका
3. बेगूसराय
4. भागलपुर
5. बक्सर
6. गोपालगंज
7. खगड़िया
8. किशनगंज
9. मधेपुरा
10. मुंगेर
11. पश्चिम चंपारण
12. पूर्व चंपारण
13. सहरसा
14. सारण
15. शेखपुरा
16. सीतामढ़ी
17. सिवान

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 61/2016/फा.सं.142/13/ 2015-टीपीएल]

पीताम्बर दास, निदेशक (कर नीति और विधान)